पेश हो

23-12-19 पत्रावली पेश। पेशकार राज्य ने लिखित बहस पेश की। जिसके बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र (पेशकार (राजस्व)) बहस स्वीकार करने के योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुदा होकर वास्ते [illegible] के दाखिल हो।
आदेश खुले न्यायालय में लिखवाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
23/12/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : रामअवतार कुमावत

प्रकरण सं० 89/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना

प्रार्थी

1 अवतार कौर पुत्री साधुसिंह जट सिख साकिन

2 पी.अम. तहसील घड़साना   अप्रार्थी

उपस्थित :- श्री कृष्ण जाखड़ नायब तहसीलदार 365 हेड पैरोकार राज०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1)(अ)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 23/12/2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करके निवेदन किया कि - चक 9 एमजीएम के मु०नं० 13/48 का कि०नं० 1 ता 25 का कुल 6.325 हैक्टेयर रकबा मुताबिक जमाबन्दी

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रकरण 84/2015

अवतारकौर पुत्री श्री फुसिंह जाति जटसिख साकिन -
2 पी.एस.एम. के नाम खातेदार दर्ज है। ख.नं. 13/48 के
किला 1, 2, व 10 में खातेदार कृषक द्वारा अवैध रूप
से जिप्सम खनन किया गया। खातेदार कृषक को कई
बार मौखिक रूप से भी जिप्सम खनन नहीं करने हेतु
कहा गया परन्तु कभी-कभी रात्रि में चोरी से अवैध
खनन किया जाना जारी है। राजस्थान काश्तकारी-
अधिनियम के तहत आराजी कृषि भूमि पर कृषि-
कार्य ही कर सकता है। सम्बन्धित पटवारी हल्का के
द्वारा चक 9 एम.जी.डी. का ख.न. 13/48 के कि.
नं. 1, 2, 10 को कृषि भूमि में अवैध रूप से जिप्सम
खनन करके अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है
जो बिना अनुमति से है जो कि राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 177(1)(अ) का उल्लंघन
है। खातेदार कृषक के द्वारा काश्तकारी अधिनियम
का उल्लंघन करने पर कृषि भूमि के खातेदार कृषक
के नाम से खारिज करके राजकीय भूमि में समायोजित
किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण दर्ज
रजिस्टर करके अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब
किया गया। प्रकरण में नोटिस की तामील होने
के उपरान्त अप्रार्थी के न्यायालय में हाजिर नहीं
होने पर दिनांक 17-05-2017 को एकपक्षीय कार्यवाही
की गई। प्रार्थी पक्ष की ओर पटवारी हल्का के बयान
करवाये गये। पत्रावली में नकल जमाबन्दी [illegible]

लगातार -3

ह०/-
उपखण्ड अधिकारी
गड़साना

प्रकरण 84/2015

की अभिभाषक की गई। प्रकरण में उपस्थित पेशकार राजस्व की मौखिक बहस सुनी गई। और पेशकार राज की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस को शामिल मिसल किया। पेशकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया की खातेदार कृषक को कृषि भूमि मे कृषि का ही कार्य करने का अधिकार है कृषि कार्य से भिन्न कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से निर्धारित आवेदन पेश करके स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करके अवैध रूप से जिप्सम का खनन कार्य किया है। उसकी कृषि भूमि को खालसा करते हुये राजकीय भूमि घोषित करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर तथा पेशकार राज की बहस का मनन करने पर तहसीलदार (राजस्व) घड़साना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177(1)(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अप्रार्थी अवतार कौर पुत्री सा प्रसिंह जट सिख निवासी 2 पी.एस.एम II को स्वीकार करते हुये अप्रार्थिया के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा —

लगातार—4

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रकरण 89/2015

1. ग्राम जीवण तहसील घड़साना के पत्थर नं. 13/18 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि को रकबा राज घोषित करते हुये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को आदेशित किया जाता है कि वह तुरन्त इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन राज्य हित में करे तथा उक्त भूमि का कब्जा ग्रहण सरकार लेकर सुइ सुनिश्चित करे की इसी भूमि भविष्य में किसी भी प्रकार से जिप्सम का अवैध खनन नहीं हो पाये। निर्णय की फोटो प्रति तहसीलदार घड़साना को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 23/12/19 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 23/12/19
(रामावतार कुमावत)
RAS

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 16:22:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: